

## न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन  
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 80/2019

दीपेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी अभिभाषक— अपीलान्ट की ओर से
2. श्री कन्हैयालाल — विभागीय पैरोकार रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 10.10.2019 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनू बाबत निरस्त करने उचित मूल्य दुकानदार लाईसेन्स

आदेश

दिनांक 23.10.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस निम्नानुसार है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व जवाबदेही का सही विश्लेषण न कर आदेश पारित करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने बिना कोई जांच किये एकतरफा आदेश पारित है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को अदालत मातहत के द्वारा दिनांक 03.10.2018 को उचित मूल्य दुकानदार के रूप में प्राधिकृत किया गया था और RKCL प्रमाण पत्र 8 माह में पेश करने के लिए भी अधिकृत किया गया था जो दिनांक 03.06.2019 तक पेश करना था। अपीलान्ट द्वारा RSCIT में प्रवेश नियमानुसार दिनांक 27.09.2018 को ले लिया था और नियमानुसार उक्त कोर्स 6 माह में ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन नवम्बर 2018 में विधान सभा के आम चुनाव, मार्च 2019 में लोक सभा के आम चुनाव व गुर्जर आन्दोलन होने के कारण परीक्षा समय पर नहीं हो सकी जिसके कारण अपीलान्ट की परीक्षा जून 2019 में हुई और उसका परीक्षा परिणाम आते ही अपीलान्ट ने दिनांक 24.07.2019 को प्रमाण पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश कर दिया। इसमें अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही है। विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा का आयोजन समय पर नहीं करवाने के कारण देरी हुई है इसमें अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही। उक्त कानूनी तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर न कर आदेश पारित करने में भूल कानूनी की है। विश्व विद्यालय के स्तर से परीक्षा करवाने में जो देरी हुई है उसके लिए अपीलान्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलान्ट के द्वारा नियमानुसार प्रवेश लिया जाकर परीक्षा देकर प्रमाण पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश किया गया है इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने आदेश पारित करने

  
जिला कलेक्टर झुंझुनू

में भूल कानूनी की है। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकारी झुंझुनू दिनांक 10.10.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्त के प्राधिकार को बहाल किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्त को अदालत मातहत के द्वारा दिनांक 03.10.2018 को उचित मूल्य दुकानदार के रूप में प्राधिकृत किया गया था और RKCL प्रमाण पत्र 8 माह में पेश करने के लिए भी अधिकृत किया गया था जो दिनांक 03.06.2019 तक पेश करना था। अपीलान्त द्वारा RSCIT में प्रवेश नियमानुसार दिनांक 27.09.2018 को ले लिया था और नियमानुसार उक्त कोर्स 6 माह में ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन नवम्बर 2018 में विधान सभा के आम चुनाव, मार्च 2019 में लोक सभा के आम चुनाव व गुर्जर आन्दोलन होने के कारण परीक्षा समय पर नहीं हो सकी जिसके कारण अपीलान्त की परीक्षा जून 2019 में हुई और उसका परीक्षा परिणाम आते ही अपीलान्त ने दिनांक 24.07.2019 को प्रमाण पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश कर दिया। इसमें अपीलान्त की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही है। विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा का आयोजन समय पर नहीं करवाने के कारण देरी हुई है इसमें अपीलान्त की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही। विश्व विद्यालय के स्तर से परीक्षा करवाने में जो देरी हुई है उसके लिए अपीलान्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलान्त के द्वारा नियमानुसार प्रवेश लिया जाकर परीक्षा देकर प्रमाण पत्र अदालत मातहत के समक्ष पेश किया गया है इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में भूल कानूनी की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्तस के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक एफ 17(1) खा.वि./न्याय/2010 जयपुर दिनांक 26.09.2017 के तहत अपीलान्त को उचित मूल्य दुकानदार के रूप में सशर्त प्राधिकृत किया गया था। परन्तु RKCL प्रमाण पत्र निर्धारत अवधि 8 माह में पेश नहीं करने पर अपीलान्तगण की नियुक्तियां निरस्त की गई है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्तस को इस शर्त के साथ उचित मूल्य दुकानदार के रूप में प्राधिकृत किया था कि अपीलान्तस को 8 माह की अवधि में RKCL का प्रमाण पत्र पेश करना है। परन्तु समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण अपीलान्तस को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी हो गई। जिसमें न्यायालय की दृष्टि में अपीलान्तस की कोई लापरवाही नहीं मानी जा सकती है। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा दिये गये दिशा - निर्देश के क्लॉज नम्बर 1 के बिन्दु संख्या 3 में अंकित है कि " विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी "। उक्त दिशा - निर्देशों के अनुसार अपीलान्तस की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त की नियुक्ति मूल रूप से आदेश दिनांक 09.10.2019 द्वारा निरस्त की गई हैं तथा आदेश दिनांक 10.10.2019 द्वारा विरेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह के बजाय दिपेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह संशोधन

  
जिला कलेक्टर झुंझुनू

किया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर आदलत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2019 में क्रम संख्या 4 तथा 10.10.2019 को निरस्त कर उचित मुल्य दुकानदार दिपेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह को बहाल किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)  
जिला कलक्टर, झुझुनू